सवाई ...		वकील वादी अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता। प्रतिवादी भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता। साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी दोनों समाप्त की जाकर पी वास्ते बहस अंतिम पत्रावली 3.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
	3.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० बहस सुनी। वास्ते आदेश 10.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
	10.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हो। पत्रावली का अवलोकन किया। वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी 1 व 2 के जवाब, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य पर मनन किया। वादी का कथन है, कि उसका नाम ग्राम सीसड़िया की भूमि किता 5 रकबा 2.48 हे० पर अपभ्रंश रूप से भवानीराम लिखा हुआ है तथा किता 2 रकबा 1.04 हे० पर भवानीशंकर लिखा हुआ है। प्रतिवादी नं० 1 व 2 उसके सगे भाई की जमीन के उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दोनों खातों की भूमि पर अपभ्रंश नाम लिखा हुआ है, जबकि उसका सही नाम भवानीलाल है। जवाब में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया। वादी द्वारा अपना शपथपत्र प्रदर्श PW-1, नकल जमाबंदी रीछड़िया 2075-78 खाता नं. 215, प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम रीछड़िया 2075-78 खाता नं. 222 प्रदर्श-2 आंशिक नकल खसरा गिरदावरी रीछड़िया 2075 प्रदर्श-3, राष्ट्रीय आधार कार्ड नं. 534112704542 प्रदर्श 4A, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र क्रमांक MRR/1171750 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी प्रदर्श 5A, विद्यालय T.C. (रा० उ० मा० विद्यालय) रीछड़िया की फोटो प्रति प्रदर्श 6A, वादी के वादपत्र को उसके खाते की भूमि के सहखातेदारान द्वारा स्वीकार किया जाकर नाम दुरुस्ती करने पर अनापत्ति प्रकट की है। इकबालिया जवाब पेश किया गया है। इस प्रकार प्रकरण के हितबद्ध पक्षकार वांछित अनुतोष पर एकराय है। वादग्रस्त भूमि ग्राम रीछड़िया ख० नं० 1318, 287, 288, 289, 290 पर वादी का नाम भवानीराम दर्ज है। प्रतिवादी 1 व 2 वादी के भाई व सहखातेदार दर्ज है। इसी प्रकार ख. नं. 83, 84 पर वादी का नाम भवानीशंकर दर्ज है तथा प्रतिवादी नं. 2 भाई व सहखातेदार दर्ज है। उक्त सहखातेदारान की वादपत्र स्वीकार	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम हुक्म ... में जा...
	करने पर आपत्ति नहीं की। प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 के अलावा अन्य दस्तावेजात प्रदर्श-3 से 6A में वादी का नाम भवानीलाल ही अंकित है। अतः सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः गुणावगुण व सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रीछड़िया की भूमि ख० नं० 287, 288, 289, 290, 1318 किता 5 रकबा 2.48 है० पर वादी का नाम भवानीराम के स्थान पर भवानीलाल व ग्राम रीछड़िया की भूमि ख० नं० 83, 84 किता 2 रकबा 1.04 है० पर भवानीशंकर के स्थान पर भवानीलाल दर्ज किया जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आॅर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास देशल दान (I.A.S.)

भवानीलाल बनाम छोटूलाल

दावा बाबत 88-89. R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 44 J.C.M.S. 2020/00184 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री एस० आर० अली एड० मिनजानिब मुद्दई व श्री परमानन्द अली एड.

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

बाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रीछड़िया की भूमि खस० नं०
287, 288, 289, 290, 1318 किता 5 रकबा 2.48 हे. पर वादी का नाम भवानीराम के स्थान पर भवानीलाल
व ग्राम रीछड़िया के खस० नं. 83, 84 किता 2 रकबा 1.04 हे० पर भवानीशंकर के स्थान पर
भवानीलाल दर्ज किया जावे रिकार्ड में अमल दरामद हो।

बीज — मुबलिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद ब शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 11 2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान....	—	—

मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान ...	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। बाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी